

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, केपिटल काम्पलेक्स,
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक ५५२। / एफ-१-९९/३१/एस-२/२०१८, नया रायपुर, दिनांक २०/०७/२०१८
प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- रायगढ़ जिले के विकासखण्ड-खरसिया की माण्ड व्यपर्वतन योजना के मुख्य जलद्वारों का मरम्मत एवं स्टाप लॉग गेट का प्रतिस्थापन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-२८५/बो.प्र./प्रशास्त्री./२०१८/८६९८, रायपुर, दि. २१.०५.२०१८.

राज्य शासन एतद द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड-खरसिया की माण्ड व्यपर्वतन योजना के मुख्य जलद्वारों का मरम्मत एवं स्टाप लॉग गेट का प्रतिस्थापन कार्य हेतु लागत राशि रु. २९४.९० लाख (रूपये दो करोड़ चौरानबे लाख नब्बे हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-२३, जल संसाधन विभाग, २७०१-मध्यम सिंचाई {१०१} अनुरक्षण एवं मरम्मत, [२९] माण्ड व्यपर्वतन, (२८९४), #२४-अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक ११.०७.२०१८ द्वारा सहमति प्राप्त है।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य की लागत में भितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

२०/०७/१८
(याकुब खस्सा
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर
१४१)

पृ.क्रमांक ।।५२२ / एफ-१-९९/३१/ एस-२/ २०१८,

नया रायपुर, दिनांक २०/०७/२०१८

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
8. कलेक्टर, जिला—रायगढ़ (छ.ग.) ।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम ४-२२ नया रायपुर ।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायगढ़ ।
14. प्रभारी बजट शाखा, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर ।
15. कार्यपालन अभियंता, विद्युत/यांत्रिकी लाईट मशिनरी, नलकूप एवं गेट संभाग, बिलासपुर, जिला—बिलासपुर ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
16. आदेश पंजी ।

१८/७/१८
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर